निर्देश

1. **वे छात्राएं जिन्हें किसी भी अन्य स्रोत से छात्रवृत्ति/वित्तीय सहायता राशि प्राप्त होती हो वे आवेदन करने की पात्र नहीं होंगी।**
2. विद्यार्थी के माता/पिता में से कोई भी कम से कम पिछले छः माह से या तो बीड़ी श्रमिक हो या लौह अयस्क खदान, क्रोम अयस्क खदान, मैंगनीज अयस्क खदान, चूना पत्थर और डोलोमाइट खदान, अभ्रक खदान श्रमिक हों। इसमें वे श्रमिक भी शामिल हो जो ठेकेदारों के अधीन कार्य कर रहे हैं।
3. विद्यार्थी की सभी स्रोतों के कुल पारिवारिक आय (सभी भत्तों सहित) 10,000/- प्रतिमाह से अधिक नहीं होनी चाहिए।
4. वे छात्र वित्तीय सहायता पाने के योग्य नहीं होंगे जो शिक्षा व्यवसायिक पाठ्यक्रम की एक अवस्था उत्तीर्ण करने के बाद शिक्षा की उसी अवस्था में कोई अन्य विषय अथवा भिन्न व्यवसायिक पाठ्यक्रम लेकर पढ़ रहे हों।
5. आरक्षण : अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थिचयों को, उनकी जिलेवार, जनसंख्या की प्रतिशतता के आधार पर आरक्षण दिया जायेगा परन्तु उक्त आरक्षण अ0जा0 के लिये 15% अ0ज0जा0 के लिये 7.5% से कम नहीं होगा। वित्तीय सहायता वितरण में महिला विद्यार्थियों की सख्या बढाने का प्रयास करते हुए उनकी भागेदारी 50%, सुनिश्चत करने का प्रयास किया जायेगा।
6. संस्था का प्रधान विद्यार्थियों द्वारा आवेदन-पत्र पर भरी गई सूचनाओं के व्यौरे को जांच विद्यालय में उपलब्ध अभिलेख से करने के बाद आवेदन पत्र पर दिये गये प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करेगा। परिचय पत्र संख्या या भविष्य निधि लेखा सं0 के संबन्ध में किसी प्रकार की संदेह की स्थिति में संस्था का प्रधान संबंधित विद्यार्थी के अभिभावक से उक्त सूचनाएं प्राप्त करेगा।
7. ठेकेदारों/पर्यवेक्षण कार्मिकों के बच्चे वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे।
8. सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थाओं में पढ़ने वाले बच्चे ही आवेदन करने के पात्र होंगे।
9. **पूर्णरूप से भरे आवेदन स्कूलों द्वारा कल्याण आयुक्त कार्यालय इलाहाबाद में 15 सितम्बर तक पहुंच जाना चाहिए।**
10. अपूर्ण/अधूरे भरे गए आवेदन-पत्र पूर्णतया अस्वीकृत कर दिए जाएंगे और इस संबंध में आवेदक या उनके अभिभावक से कोई प्रत्राचार नहीं किया जायेगा।
11. विद्यार्थी को सुविधानुसार आवेदन निर्धारित आकार में सादे पन्ने पर या समाचार पत्र पर छपे आवेदन-पत्र को काटकर या आवेदन-पत्र छाया-प्रति/टंकित/साइक्लोस्टाइल्ड प्रति में प्रस्तुत किया जा सकता है।
12. स्वीकृत वित्तीय महायता निम्नांकित स्थितियों में निरस्त की जा सकती है।
    (क) यदि वित्तीय सहायता असत्य घोषणाओं के आधार पर प्राप्त की गई है।
    (ख) यदि विद्यार्थी पढ़ाई छोड़ चुका हो।
    (ग) विद्यार्थी की प्रगति असंतोषजनक हो। उपस्थिति निमयित न हो अथवा वह कदाचार का दोषी हो।
    (घ) विद्यार्थी के माता/पिता बीड़ी/खदान श्रमिक के रूप में कार्य न कर रहे हों।